न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 166/2014–15 अन्तर्गत धारा– 333 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम

इन्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज

बनाम

राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री अरूण सक्सेना।

बावत

मौजा खालागाँव/मक्कावाला, परगना केन्द्रीयदून,
तहसील व जनपद देहरादून।

निर्णय

यह निगरानी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–333 के अन्तर्गत सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश दिनांक 30–06–2015 जिसके अन्तर्गत सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, सदर, देहरादून द्वारा वाद संख्या–18 वर्ष 2010–11 अन्तर्गत धारा–161 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनजेमेन्ट स्टडीज बनाम ग्राम सभा में पारित आदेश दिनांक 16–09–2011 को प्रभावित किया गया के विरूद्व योजित की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है निगरानीकर्ता ने प्रश्नगत ग्रामसभा की भूमि के साथ विनिमय हेतु प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, सदर, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ग्रामसभा ने उक्त विनिमय हेतु दिनांक 22–08–2011 की बैठक में प्रस्ताव पारित कर विनिमय हेतु अपनी संस्तुति की। सहायक कलेक्टर ने प्रश्नगत विनियम हेतु तहसीलदार से आख्या प्राप्त और तहसीलदार ने अपनी आख्या में मूल्यांकन सूची के अनुसार परस्पर विनिमय की जाने वाली भूमि में कोई अन्तर न होने का उल्लेख किया और तद्नुसार विनियम हेतु संस्तुति की। सहायक कलेक्टर ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्राप्त संस्तुति तथा प्रस्तावों के आधार पर आदेश दिनांक 16–09–2011 से प्रश्नगत विनिमय स्वीकार कर परवाना अमल दरामद दिनांक 19–09–2011 जारी किया। इसके पश्चात प्रकरण में एक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के आधार पर उत्तराखण्ड शासन ने आयुक्त, गढ़वाल मण्डल को प्रकरण की जाँच करने हेतु पत्र प्रेषित किया एवं उत्तराखण्ड शासन के पत्र के आधार पर अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल ने एकपक्षीय रूप से निगरानीकर्ता को बिना सूचित किए एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए ही जाँच आख्यां दिनांक 30–03–2013 से राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रश्नगत विनिमय को निरस्त किए जाने की संस्तुति प्रेषित की गई तत्पश्चात राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 30–06–2015 से प्रश्नगत विनिमय आदेशों/निर्णयों को खण्डित करने हेतु कार्यवाही किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने प्रश्नगत प्रकरण में सभी अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया एवं अधिवक्ता निगरानीकर्ता के तर्क सुने।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता सोसायटी ने प्रश्नगत भूमि के विनिमय हेतु सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून के समक्ष प्रार्थना पत्र/वाद प्रस्तुत किया था और इस विनिमय में ग्रामसभा/भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रस्ताव दिनांक 22–08–2011 पारित कर विनिमय हेतु अपनी अनापत्ति भी प्रदान की गई और तहसीलदार से जाँच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून ने आदेश दिनांक 16–09–2011 से विनिमय स्वीकार किया गया। एक व्यक्ति द्वारा शिकायत करने पर प्रश्नगत प्रकरण में उत्तराखण्ड शासन से जाँच के आदेश किए गए और अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल ने अपनी संस्तुति से प्रश्नगत विनिमय को निरस्त करने की संस्तुति की गई। विधि में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार प्रशासनिक आधार पर न्यायिक कार्यवाही में किए गए आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता है। सहायक कलेक्टर द्वारा जो विनिमय का आदेश पारित किया गया है वह न्यायिक प्रक्रिया एवं अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया गया जिसे प्रशासनिक आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। विनिमय के पश्चात संस्था द्वारा वहाँ पर निर्माण कार्य भी किया जा चुका है तथा भवन निर्मित है। उत्तराखण्ड शासन को अपर आयुक्त द्वारा जो आख्या प्रेषित की गई वह 30–03–2013 को प्रेषित की गई थी जबकि शासन द्वारा विनिमय आदेश के 03 वर्ष 09 माह पश्चात प्रश्नगत कार्यवाही का पत्र जारी किया गया है। सहायक कलेक्टर द्वारा जो भूमि विनिमय की कार्यवाही की गई है वह जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–161 के अन्तर्गत की गई है जिसे न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत ही चुनौती दी जा सकती है न कि प्रशासनिक प्रक्रिया के अन्तर्गत। अतः उत्तराखण्ड शासन का प्रश्नगत आदेश/पत्र व सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त होने योग्य एवं निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता सोसायटी ने प्रश्नगत भूमि को ग्रामसभा की भूमि से विनिमय हेतु प्रार्थना पत्र/वाद सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून के न्यायालय में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–161 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। विनिमय प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार ने अपनी आख्या में विनिमय के स्वीकार करने हेतु संस्तुति की एवं ग्रामसभा/भूमि प्रबन्धक समिति ने भी प्रस्ताव दिनांक 22–08–2011 से प्रश्नगत विनिमय को स्वीकार किए जाने में अपनी अनापत्ति प्रदान की गई। तहसीलदार की जांच आख्या एवं भूमि प्रबन्धक समिति के संस्तुति प्रस्ताव के आधार पर सहायक कलेक्टर ने अपने निर्णयादेश दिनांक 16–09–2011 से विनिमय स्वीकार किया एवं तद्नुसार दिनांक 19–09–2011 को परवाना अमल दरामद जारी किया गया। मात्र एक व्यक्ति के शिकायती प्रार्थना पत्र एवं उसपर हुई जाँच के आधार पर ही प्रश्नगत विनिमय को निरस्त किए जाने की कार्यवाही विधिमान्य नहीं है। विनिमय को निरस्त किए जाने की जो भी कार्यवाही सम्पादित हुई है वह नितान्त प्रशासनिक कार्यवाही है और प्रशासनिक कार्यवाही के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुए आदेश को विधि में निर्दिष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार निरस्त नहीं किया जा सकता है। विद्वान सहायक कलेक्टर, देहरादून ने जो विनिमय स्वीकार किया है वह जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–161 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार भली–भाँति परीक्षण एवं न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप ही किया है जिसे प्रशासनिक प्रक्रिया के अन्तर्गत निरस्त नहीं किया जा सकता है। यदि कोई प्रभावित पक्ष प्रश्नगत विनिमय से क्षुब्ध था तो उसे तद्नुसार सहायक कलेक्टर के आदेश के विरूद्व विधि में निर्दिष्ट व्यवस्थाओं के अनुरूप अपील अथवा निगरानी योजित करनी चाहिए थी। विनिमय आदेश दिनांक 16–09–2011 के 03 वर्ष 09 माह पश्चात मात्र जाँच के आधार पर ही विनिमय को निरस्त किया जाना विधिक रूप से त्रुटियुक्त है। तत्कालीन अपर आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी श्री विजय चन्द्र कौशल के प्रश्नगत जाँच आख्या 03–03–2013 के अवलोकन से भी ऐसा प्रतीत होता है कि यह जाँच पूर्वाग्रह से दूषित होकर की गई है तथा जाँच आख्या निष्पक्षता व विधि में दी गई व्यवस्थाओं के अनुरूप प्रस्तुत नहीं की गई है।

जहाँ तक जाँच आख्या में उनका यह सुझाव कि जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–161 के तहत विनिमय की अन्तिम कार्यवाही से पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाय यह विधि अनुसार ठीक नहीं है। धारा–161 के अन्तर्गत पारित आदेश न्यायिक आदेश है और न्यायिक आदेशों को पारित करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त करना न्यायिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करना है। अपर आयुक्त की जाँच आख्या में ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें राजस्व न्यायालयों की न्यायिक प्रकिया की ठीक से जानकारी नहीं है जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग–2 द्वारा भी शासनादेश संख्या–91/XVII(II)/2015–20(14)/2015, दिनांक 20 जून, 2015 से आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं आयुक्त, गढ़वाल मण्ड़ल, पौडी को तत्कालीन परगनाधिकारियों द्वारा निर्गत त्रुटिपूर्ण विनिमय के आदेश/निर्णयों को खण्डित करने हेतु सम्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं, यह न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप व न्यायालय की अवमानना जैसा है। न्यायिक आदेश/निर्णय के विरूद्व सक्षम न्यायालय में ही अपील/निगरानी योजित कर उसे चुनौती दी जा सकती है न कि प्रशासनिक आदेश के तहत। यदि शासन स्तर पर यह महसूस किया जा रहा हो कि किसी न्यायिक व्यवस्था में बदलाव किया जाना आवश्यक है तो उसे विधि में दी गई व्यवस्था के अनुसार ही बदला जा सकता है ना कि शासनादेश जारी कर।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि शासनादेश संख्या–91/XVII(II)/2015–20(14)/2015, दिनांक 30 जून, 2015 जो कि जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–161 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण भूमि विनिमय के आदेशों को खण्डित करने के सम्बन्ध में जारी किया गया है वह न्यायिक दृष्टि से निष्प्रभावी व शून्य है तथा इस शासनादेश के तहत यदि किसी स्तर पर कोई कार्यवाही की गई है तो वह भी निष्प्रभावी/शून्य मानी जायेगी।

आदेश

निगरानी स्वीकार की जाती है। आदेश दिनांक 16–09–2011 यथावत रहेगा तथा शासनादेश संख्या–91/XVII(II)/2015–20(14)/2015, दिनांक 30 जून, 2015 द्वारा विनिमय आदेशों/निर्णयों को खण्डित किये जाने सम्बन्धी समस्त कार्यवाही निष्प्रभावी की जाती है। आदेश की प्रति सचिव, राजस्व एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित की जाय।

(सर्किश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 21-07-15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(सर्किश शर्मा)
अध्यक्ष।